


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री किशनगोपाल क मन्थ बनाम श्री सावरदास क मन्थ

किस्म मुकदमा 212 RFA

मु0न0 75 सन-2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
14-09-2014	<p>वकुलाए फरीकेन उपस्थित। अभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में दिनांक 16.07.2014 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किये गये हैं। चूंकि भूमि विवादित है एवं स्थगन आदेश हटाने से वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी मूल वाद अपने अंतिम चरण साक्ष्य में नियत है। अतः विवादित भूमियों पर विवाद की स्थिति को देखते हुए पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16.07.2014 को ताफैसला मूलवाद तक यथावत रखा जाता है कि अप्रार्थीगण ग्राम देलवाड़ा पटवार हल्का देलवाड़ा की विवादित आराजियात की रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(राहुल जैन)</b>  <b>उपखण्ड अधि एवं सहायक कलक्टर</b>  <b>ब्यावर</b> </p>	